



02/06/25

अधिवक्ता उभयपक्ष उप. प्रकरण में अधिवक्ता अपीलेंट द्वारा अपीलेंट्स से संपर्क नहीं होने का हवाला देते हुए NO INSTRUCTION PLEASED किया है। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलेंट ने मौजूदगी के पश्चात् अपीलेंटगण को न्यायालय की ओर से बार-बार आवाजे लगाईं गईं। इससे बावजूद कोई उपास्थित नहीं आया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में न तो अपीलेंट का मौजूदगी नंबर अंकित है संव न ही पंजीहल पता अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में संबन्ध में अपीलेंट से संपर्क किया जाना संभव नहीं है। अतः पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुनार होकर बाद आवरण कार्यवाही दायिमल दुबलर है।



राजस्थान अपील प्राधिकारी
भारत

NO INSTRUCTION

 (25/6/25)